

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2828
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

पंचायतों के लिए निधियां

2828. श्री भोजराज नाग:
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री विजय बघेल:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री शंकर लालवानी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2026 तक पंचायतों को कोष, कार्य और कार्यकर्ताओं के हस्तांतरण (श्री एफ) की सीमा का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वास्तविक हस्तांतरण की समय-समय पर समीक्षा या निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो पंचायत स्तर पर 'अनटाइड फंड' के हस्तांतरण और कार्यकर्ताओं की तैनाती सहित उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या प्रभावी हस्तांतरण के उच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए कोई प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन, रैंकिंग या अनुदान-संबद्ध तंत्र मौजूद है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार' होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए

तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल हैं, के क्रियान्वयन के लिए, किसी भी राज्य के विधान मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधानमंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, पंचायतों को कोष, कार्य और कार्यकर्ताओं के हस्तांतरण (थ्री एफ) की सीमा, वास्तविक हस्तांतरण की समय-समय पर समीक्षा या निगरानी, पंचायत स्तर पर 'अनटाइड फंड' के हस्तांतरण और कार्यकर्ताओं की तैनाती और पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ाना सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2013-14 से 2021-22 के बीच अंतरण सूचकांक का दायरा 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है। अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

मंत्रालय ने केंद्रीय प्रायोजित योजना, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे कि बुनियादी मार्गदर्शन और पुनरावलोकन कार्यक्रम, विषयगत हस्तक्षेप, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम आदि, के अंतर्गत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाती है, यह योजना पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु भ्रमण को भी बढ़ावा देती है, साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास में भी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए स्व-स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को यह समझने में मदद करता है कि कर और गैर-कर स्रोतों से ओएसआर कैसे उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए उनके ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना है, जिससे महिला नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा मिल सके।

(ड) और (च) जी नहीं, महोदय। हालांकि, 16वें वित्त आयोग (वित्तीय वर्ष 2026-31) ने प्रदर्शन अनुदान के रूप में 87,048 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इन प्रदर्शन अनुदानों को दो घटकों में विभाजित किया गया है – (i) स्थानीय निकाय प्रदर्शन अनुदान, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उत्पन्न और संवर्धित स्व-स्रोत राजस्व की मात्रा के आधार पर जारी किया जाएगा और (ii) राज्य प्रदर्शन अनुदान, जो राज्य द्वारा अपने संसाधनों से हस्तांतरित निधि की मात्रा पर निर्भर करेगा।

अनुलग्नक-1

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के भाग में (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट विवरण

अंतरण सूचकांक और उप-सूचकांक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग

श्रेणी	पीडीआई		रूपरेखा		कार्य		वित्त		पदाधिकारियों		क्षमता निर्माण		जवाबदेही	
	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक	राज्य	अंक
सामान्य श्रेणी के राज्य														
1	कर्नाटक	72.23	केरल	83.56	तमिलनाडु	60.24	कर्नाटक	70.65	गुजरात	90.94	तेलंगाना	86.19	कर्नाटक	81.33
2	केरल	70.59	महाराष्ट्र	74.74	कर्नाटक	57.62	केरल	62.89	तमिलनाडु	84.25	तमिलनाडु	84.29	केरल	81.18
3	तमिलनाडु	68.38	कर्नाटक	74.43	ओडिशा	57.46	तमिलनाडु	55.78	केरल	82.99	गुजरात	83.96	महाराष्ट्र	80.36
4	महाराष्ट्र	61.44	हरियाणा	73.3	राजस्थान	56.13	राजस्थान	54.56	कर्नाटक	80.11	गोवा	77.7	उत्तर प्रदेश	76.07
5	उत्तर प्रदेश	60.07	मध्य प्रदेश	70	केरल	53.86	ओडिशा	53.57	छत्तीसगढ़	78.33	आंध्र प्रदेश	76.69	तमिलनाडु	71
6	गुजरात	58.26	ओडिशा	69.2	उत्तर प्रदेश	46.89	पश्चिम बंगाल	52.96	बिहार	75.13	उत्तर प्रदेश	74.44	आंध्र प्रदेश	60.49
7	राजस्थान	56.67	राजस्थान	68.54	महाराष्ट्र	46.52	उत्तर प्रदेश	51.76	महाराष्ट्र	73.63	महाराष्ट्र	73.35	तेलंगाना	60.43
8	पश्चिम बंगाल	56.52	छत्तीसगढ़	68.51	छत्तीसगढ़	42.39	छत्तीसगढ़	51.45	आंध्र प्रदेश	68.78	कर्नाटक	71.59	छत्तीसगढ़	58.17
9	छत्तीसगढ़	56.26	तमिलनाडु	66.83	गुजरात	41.23	तेलंगाना	46.86	पश्चिम बंगाल	67.76	केरल	71.11	पश्चिम बंगाल	57.87
10	तेलंगाना	55.1	पश्चिम बंगाल	62.3	मध्य प्रदेश	39.47	बिहार	43.86	राजस्थान	64.03	पश्चिम बंगाल	70.63	ओडिशा	51.92
11	आंध्र प्रदेश	54.43	गुजरात	61.65	तेलंगाना	38.77	आंध्र प्रदेश	43.19	उत्तर प्रदेश	63.13	मध्य प्रदेश	70	बिहार	51.64
12	मध्य प्रदेश	50.94	आंध्र प्रदेश	60.08	पश्चिम बंगाल	33.07	महाराष्ट्र	42.96	मध्य प्रदेश	62.22	राजस्थान	61.43	गुजरात	47.9
13	ओडिशा	50.03	उत्तर प्रदेश	54.64	पंजाब	31.97	मध्य प्रदेश	42.34	तेलंगाना	58.01	बिहार	55.27	हरियाणा	41.93
14	बिहार	48.24	गोवा	52.88	आंध्र प्रदेश	30.5	गुजरात	41.63	गोवा	46.31	छत्तीसगढ़	47.61	राजस्थान	41.43
15	हरियाणा	39.33	बिहार	49.76	झारखंड	27.56	हरियाणा	40.38	हरियाणा	38.48	ओडिशा	43.43	मध्य प्रदेश	36.55
16	गोवा	37.71	पंजाब	47.26	बिहार	18.69	पंजाब	36.36	झारखंड	27.83	हरियाणा	35.35	गोवा	31.75
17	पंजाब	29.34	तेलंगाना	45.35	हरियाणा	16.82	झारखंड	30.05	ओडिशा	27.42	पंजाब	26.34	पंजाब	24.87
18	झारखंड	27.73	झारखंड	42.3	गोवा	6.63	गोवा	26.88	पंजाब	8.2	झारखंड	24.72	झारखंड	16.47
पूर्वोत्तर / पहाड़ी क्षेत्र के राज्य														

1	त्रिपुरा	57.58	उत्तराखंड	70.95	सिक्किम	42.59	त्रिपुरा	59.16	हिमाचल प्रदेश	70.06	हिमाचल प्रदेश	83.68	त्रिपुरा	70.69
2	हिमाचल प्रदेश	53.17	त्रिपुरा	66.5	असम	28.66	हिमाचल प्रदेश	48.41	असम	65.12	त्रिपुरा	76.82	असम	57.14
3	उत्तराखंड	49.11	सिक्किम	65.27	हिमाचल प्रदेश	23.01	उत्तराखंड	47.11	उत्तराखंड	60.49	असम	71.96	उत्तराखंड	52.72
4	असम	49.06	हिमाचल प्रदेश	62.22	त्रिपुरा	21.5	सिक्किम	43.5	त्रिपुरा	52.22	उत्तराखंड	56.02	हिमाचल प्रदेश	39.41
5	सिक्किम	43.81	असम	54.04	उत्तराखंड	16.68	असम	34.06	सिक्किम	31.42	सिक्किम	53.23	सिक्किम	34.94
6	अरुणाचल प्रदेश#	17.96	अरुणाचल प्रदेश#	41.5	अरुणाचल प्रदेश#	12.7	मणिपुर#	13.17	मणिपुर#	21.4	अरुणाचल प्रदेश#	37.4	मणिपुर#	28.75
7	मणिपुर#	17.13	मणिपुर#	34.05	मणिपुर#	11.23	अरुणाचल प्रदेश#	6.83	अरुणाचल प्रदेश#	5.74	मणिपुर#	3.75	अरुणाचल प्रदेश#	22.56

केंद्र शासित प्रदेश

1	जम्मू और कश्मीर	27.85	अंडमान और निकोबार समूह	55.21	जम्मू और कश्मीर	11.88	पुदुचेरी	16.16	लक्षद्वीप#	39.53	जम्मू और कश्मीर	55.08	अंडमान और निकोबार समूह	45.73
2	अंडमान और निकोबार समूह	27.15	लक्षद्वीप#	31.42	लद्दाख	11.08	जम्मू और कश्मीर	13.29	जम्मू और कश्मीर	36.97	अंडमान और निकोबार समूह	54.82	जम्मू और कश्मीर	39.76
3	लक्षद्वीप#	18.32	जम्मू और कश्मीर	23.07	लक्षद्वीप#	10.36	अंडमान और निकोबार समूह	9.09	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	31.69	लद्दाख	29.32	पुदुचेरी	29.33
4	लद्दाख	16.18	लद्दाख	22.21	पुदुचेरी	4.63	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	5.45	लद्दाख	25.25	लक्षद्वीप#	15.18	लक्षद्वीप#	28.13
5	पुदुचेरी	16.16	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	22.06	अंडमान और निकोबार समूह	4.5	लक्षद्वीप#	3.99	पुदुचेरी	21.49	पुदुचेरी	13.75	लद्दाख	27.43
6	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	13.62	पुदुचेरी	9.31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	0	लद्दाख	0	अंडमान और निकोबार समूह	20.94	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	8.57	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव#	24.91

	राष्ट्रीय औसत	43.8 9		54.2 9		29.1 8		37.0 4		50.9 6		54.6 3		47.51
--	---------------	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

स्रोत: "राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024" नामक शीर्षक से रिपोर्ट

नोट: #वे राज्य जिनके लिए पिछले आँकड़े इस्तेमाल किए गए हैं।

*भाग IX (पंचायत) के प्रावधान इन राज्यों पर लागू नहीं होते।

** इन केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतें कार्यरत नहीं हैं।